



Neutral Citation No. - 2026:AHC: 129439

इलाहाबाद उच्च न्यायालय

आपराधिक विविध ज़मानत अर्ज़ी संख्या - **21034 वर्ष 2026**

अनुज यादवआवेदक

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्यप्रतिवादी पक्ष

आवेदक(कों) के अधिवक्ता : आनंद पति तिवारी

प्रतिवादी पार्टी(यों) के अधिवक्ता : शासकीय अधिवक्ता

न्यायालय संख्या – 69

माननीय न्यायमूर्ति राजीव लोचन शुक्ला

1. आज दाखिल किया गया अतिरिक्त शपथ-पत्र रिकॉर्ड पर लिया गया।
2. आवेदक के अधिवक्ता और राज्य की ओर से ए.जी.ए.. की दलीलें सुनी गईं और रिकॉर्ड देखा गया।
3. यह ज़मानत अर्ज़ी, मुकदमा अपराध संख्या 191/2025 (पुलिस स्टेशन अछल्दा, ज़िला औरैया) में आवेदक को ज़मानत पर रिहा करने की मांग के साथ दाखिल की गई है। यह मामला बीएनएस की धाराओं 3(5), 103(1), 61(2), 140(1), 238 और आयुध अधिनियम की धारा 3/25/27 के तहत दर्ज है।
4. आवेदक के अधिवक्ता का कहना है कि आवेदक को इस मामले में झूठा फंसाया गया है। एफ.आई.आर. दो दिन की देरी से दर्ज की गई थी। कहा जाता है कि मृतक का अपहरण उन आरोपियों ने किया था जिनके नाम एफ.आई.आर. में दर्ज हैं। एफ.आई.आर. में नौ आरोपियों के साथ-साथ कुछ अज्ञात लोगों के नाम भी शामिल हैं। इसी तरह के मामले में शामिल सह-आरोपियों सुखदेव यादव और गौतम को इस न्यायालय ने आपराधिक विविध ज़मानत आवेदन संख्या 7926/2026 और 8737/2026 के तहत ज़मानत दे दी है। आवेदक का 14 मामलों का आपराधिक इतिहास है; इनमें से 13 मामलों में उसे

अस्वीकरण

"अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।"



ज़मानत मिल चुकी है और एक मामले में फ़ाइनल रिपोर्ट दाखिल की जा चुकी है। आवेदक को पहले कभी किसी अपराध के लिए दोषी नहीं ठहराया गया है।

5. विद्वान ए.जी.ए. ने ज़मानत की अर्ज़ी का विरोध किया है और कहा है कि अब आवेदक के खिलाफ़ चार्जशीट दाखिल कर दी गई है। अपराध में आवेदक की मिलीभगत साबित करने के लिए पर्याप्त सबूत इकट्ठा किए गए हैं। आवेदक का लंबा आपराधिक इतिहास रहा है, जो यह दिखाता है कि उसमें बार-बार अपराध करने की प्रवृत्ति है।

6. मैंने दोनों पक्षों के वकीलों की दलीलों पर विचार किया है।

7. एफ.आई.आर. दो दिन की देरी से दर्ज की गई थी। आवेदक का नाम आठ अन्य आरोपियों और कुछ अज्ञात लोगों के साथ शामिल किया गया था। मृतक का शव मिलने के तुरंत बाद, मृतक के चाचा महेंद्र सिंह ने एक आवेदन दिया था; उस आवेदन में आवेदक या किसी अन्य आरोपी के खिलाफ कोई आरोप नहीं लगाया गया था और न ही 24.09.2025 की घटना के बारे में कोई ज़िक्र किया गया था। इसी तरह के मामले में शामिल सह-आरोपियों सुखदेव यादव और गौतम - जिनका क्रमशः सात और चार मामलों का आपराधिक इतिहास रहा है - को भी इस न्यायालय ने ज़मानत दे दी है।

8. मामले के तथ्यों और परिस्थितियों का ध्यान में रखते हुए, मुझे आवेदक को ज़मानत पर रिहा करना उचित लगता है।

9. ज़मानत की अर्ज़ी मंज़ूर की जाती है।

10. ऊपर बताए गए मुकदमा अपराध संख्या से जुड़े आरोपी-आवेदक अनुज यादव को ज़मानत पर रिहा किया जाए। इसके लिए उसे संबंधित न्यायालय की संतुष्टि के अनुसार उतनी ही राशि का व्यक्तिगत संबंध और दो भरोसेमंद ज़मानतदार देने होंगे, साथ ही नीचे दी गई शर्तें भी माननी होंगी:

(i) आवेदक सबूतों के साथ छेड़छाड़ नहीं करेगा।

(ii) आवेदक किसी भी आपराधिक गतिविधि में शामिल नहीं होगा।

(iii) आवेदक अभियोजन पक्ष के गवाहों पर दबाव नहीं डालेगा या उन्हें डराएगा-धमकाएगा नहीं और मुकदमे की कार्यवाही में सहयोग करेगा।

अस्वीकरण

"अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।"



(iv) आवेदक ट्रायल न्यायालय द्वारा तय की गई हर तारीख पर नियमित रूप से पेश होगा, जब तक कि संबंधित न्यायालय उसे व्यक्तिगत रूप से पेश होने से छूट न दे दे।

11. ऊपर बताई गई किसी भी शर्त का उल्लंघन होने पर, संबंधित न्यायालय उसकी जमानत रद्द करने की कार्रवाई करने के लिए स्वतंत्र होगी।

12. यह स्पष्ट किया जाता है कि आवेदक को इस आदेश की कंप्यूटर-जनरेटेड कॉपी के आधार पर रिहा किया जाएगा। यह कॉपी इलाहाबाद हाई न्यायालय की आधिकारिक वेबसाइट से डाउनलोड की गई हो और संबंधित अधिवक्ता द्वारा सत्यापित की गई हो, साथ ही यह वचन भी दिया जाए कि प्रमाणित कॉपी 15 दिनों के भीतर जमा कर दी जाएगी।

13. आगे यह निर्देश दिया जाता है कि ट्रायल न्यायालय आवेदक की जल्द रिहाई सुनिश्चित करने के लिए 'बेल ऑर्डर मैनेजमेंट सिस्टम' के माध्यम से संबंधित जेल को रिहाई का आदेश भेजे।

14. ऊपर बताई गई बातें केवल इस जमानत अर्जी पर निर्णय लेने के लिए हैं और इन्हें मामले के गुण-दोष पर कोई राय नहीं माना जाना चाहिए।

29 जून, 2026

ए. पांडे

(न्यायमूर्ति राजीव लोचन शुक्ला)

अस्वीकरण

"अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।"